Speech on Safety Day in Hindi | सुरक्षा दिवस पर भाषण हिंदी में

यह दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 11-13 दिसंबर 1965 को राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा परिषदों पर सहमति बनी,जिसके बाद फरवरी 1966 में स्थायी श्रम समिति के 24वें सत्र में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के विचार को मंजूरी दी गई थी। भारत के श्रम मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था।

परिषद को पंजीकृत करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का उपयोग किया गया था। 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के परिणामस्वरूप NSC को भी आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई थी। 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम की स्थापना की गई थी।1972 में, उद्घाटन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया था। तब से, यह हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है।

यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की याद दिलाता है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे 1965 में स्थापित किया गया था।राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की मान्यता में, सुरक्षा और स्वच्छ प्रथाओं के महत्व पर जोर देना महत्वपूर्ण है, जिसे हर किसी को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए।भारत में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद घरेलू सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और यात्रा सुरक्षा जैसे मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल है।पूरे देश में संघीय और राज्य सरकारों दोनों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।अपनी विशेषज्ञता को अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए बच्चे सुरक्षा प्रक्रियाओं, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग ले सकते हैं या वे प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान दे सकते हैं।

सुरक्षित वातावरण उत्पादकता और खुशी के उच्च स्तर के अनुकूल होते हैं। सुरक्षा नियमों का मूल्यांकन, आवश्यक होने पर उन नियमों में संशोधन और उन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुरक्षा संस्कृति बनाने में सभी आवश्यक कदम हैं। जैसा कि 4 मार्च 1966 को ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना श्रम मंत्रालय, भारत सरकार (GOI) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर SHE पर एक स्वैच्छिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए की गई थी। यह एक शीर्ष गैर-लाभकारी, त्रिपक्षीय निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत है। एनएससी के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियाँ विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने, सुरक्षा ऑडिट, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन आदि जैसे परामर्श अध्ययन आयोजित करने सहित की जाती हैं।

इतना ही नहीं, XIII वर्ल्ड कांग्रेस जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयसम्मेलन (1993) और APOSHO सम्मेलन (1995 और 2016) इसने एनएससी द्वारा आयोजित कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को भी लागू किया। 50 से अधिक वर्षों की सेवा के दौरान इसने उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और क्षमता का निर्माण किया है।।वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस विभिन्न तरीकों से मनाया जा सकता है। विभिन्न उद्योगों में सुरक्षा पर पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, व्याख्यान, सेमिनार, शिखर सम्मेलन या सामुदायिक आउटरीच पहल की व्यवस्था करें या उसमें भाग लें।जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा आकलन और खतरे की पहचान सहित परामर्शी जांच को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

एसएचई (सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण) पहल के प्रचार के लिए योजना बनाएं और इसे क्रियान्वित करें।संगठनात्मक, क्षेत्रीय और काउंटी स्तर पर सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियों में भाग लें।प्रासंगिक सुरक्षा नियमों के बारे में पुष्टि करें और सुधार के लिए सिफारिशें करें।जागरूकता बढ़ाने के लिए खोज और बचाव कार्यों और प्रदर्शनियों का आयोजन करें।SHE अभियान और उसके कारणों को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिताओं को व्यवस्थित करें और उनमें भाग लें।

औद्योगिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 से 10 मार्च तक भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSCI) द्वारा आयोजित किया जाता है और देश भर के उद्योगों, कारखानों और कार्यस्थलों द्वारा मनाया जाता है।राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल में मौजूद विभिन्न खतरों और खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और कर्मचारियों को उनसे बचने के तरीके के बारे में शिक्षित करना है। इस सप्ताह के दौरान, विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन विभिन्न सुरक्षा उपायों और पालन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का विषय हर साल बदलता है, और यह कार्यस्थल में सुरक्षा के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में, विषयों में "युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करना", "आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें", "सुरक्षित रहें, स्वामित्व लें" आदि शामिल हैं।संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे निबंध लेखन, नारा लेखन और पोस्टर बनाना, श्रमिकों को भाग लेने और सुरक्षा के संदेश को फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना।

पहले उल्लिखित घटनाओं और गतिविधियों के अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस सप्ताह के दौरान, सुरक्षा पेशेवर और विशेषज्ञ अपने अनुभवों को साझा करने और कार्यस्थल में सुरक्षा में सुधार के नए और नए तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं।राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा पहलों में श्रमिकों की भागीदारी पर जोर है। NSCI श्रमिकों को अपने कार्यस्थल में सुरक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने नियोक्ताओं के ध्यान में आने वाली किसी भी सुरक्षा चिंताओं या खतरों को लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भारत में एक महत्वपूर्ण घटना है जो औद्योगिक सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेकर, कर्मचारी अपने कार्यस्थल में मौजूद विभिन्न खतरों के बारे में सीख सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस प्रकार दुर्घटनाओं और चोटों के जोखिम को कम कर सकते हैं।